खण्ड - 9 संख्या -16

नवम् बिहार विधान-सभा

विधान-सभा वादवृत्त

भाग-1, कार्यवाही प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, तिथि 15 जुलाई, 1988 ई०

अध्यक्ष : यहां से उस प्रश्न के लिये डाईरेक्शन देकर भेज दिया गया है। आपको वह उत्तर मिलेगा, आप बैठ जाइयें।

श्री विजय शंकर दूबे : कब मिलेगा ?

अध्यक्ष : किसी भी दिन मैं इसका उत्तर दिलवाऊंगा नहीं भी दिन होगा तब भी इसका उत्तर मिलेगा।

बिलम्ब का औचित्य

2085. श्री राम लाल सिंह : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि भमुआ प्रमण्डल के अन्तर्गत खजुरा ग्राम में 33/11 के० भी० पावर सब-स्टेशन बनाने के लिए विगत पांच वर्ष पूर्व ही जमीन अर्जित कर बाउन्ड्रीवाल निर्मित किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि पावर सब-स्टेशन बनाने हेतु लोहा एवं सीमेंट की आपूर्ति की जा चुकी थी;

(3) क्या यह बात सही है कि अभीतक सब-स्टेशन का कोई काम प्रारम्भ नहीं हो सका है, यदि हां, तो इसमें विलम्ब का क्या औचित्य है?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : 1. उत्तर स्वीकारात्मक है।

2. उत्तर स्वीकारात्मक है।

3. उत्तर स्वीकारात्मक है।

जैसा प्रश्न की कंडिका 1 में स्पष्ट है चाहरदिवारी का कार्य किया गया है। पावर सब-स्टेशन के निर्माण के लिए जो सामान निर्गत किये गये, उनका उपयोग सही ढंग से हुआ या नहीं और इसके निर्माण में हुए विलम्ब

एवं अन्य सम्बद्ध मुद्दों की जांच आरक्षी महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, निगरानी कोषांग (विशेष शाखा) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड पटना से कराने का निर्देश दिया गया है। विद्युत बोर्ड को यह भी निर्देश दिया गया है कि इस योजना को अगले वित्तीय वर्ष के वार्षिक विकास कार्यक्रम में शामिल कर प्राथमिकता के आधार पर 1989-90 में ही इस पावर सब-स्टेशन का निर्माण पूरी करावें।

श्री रामलाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने पहला और दूसरा खंड को स्वीकार किया है और तीसरे खंड को भी स्वीकार किया है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि निगरानी विभाग से जांच कराकर तीन माह के अन्दर इसको पूरा करा देंगे? साथ ही इसका निर्माण कार्य भी पूरा करा देंगे?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : माननीय सदस्य चाहते हैं कि तीन माह में जाँच पूरा करा दिया जाय तो तीन माह में जाँच पूरा करा लिया जाएगा और जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा है इसका निर्माण-कार्य 1989-90 में पूरा करा देने का निर्देश दिया जा चुका है।

सुरक्षात्मक व्यवस्था

2086. श्री रघुवंश प्र० सिंह : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 1987 की बाढ़ में 96 जगहों पर तटबंध टूटा, 29 स्थानों पर दरार पड़ी थी, जबकि 77 स्थानों पर असमाजिक तत्वों ने तटबंध काट दिया था, जिससे 64.61 लाख हेक्टर जमीन बाढ़ से प्रभावित हुई थी, यदि हां, तो इस वर्ष बाढ़ रोकने हेतु सुरक्षात्मक कौन-सी कार्रवाई की गयी है?

श्री लहटन चौधरी : 1987 की बाढ़ में 104 जगहों पर नदी के तटबंधों के विभागीय सड़कों में बिच तथा कट्स हो गये जिनमे से 101 जगहों